न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

रिव्यू (विविध) प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2010

उनवानः–

---

1. श्योराम पुत्र नेतराम अहीर निवासी मांजरी खुर्द वगैरा

:————— वादीगण अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर
2. मोहन पुत्र लालजी चमार आदि निवासी माजरीखुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:——— प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बानसूर

दिनांक 28.3.2001

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0

उपस्थितः–

---

1. वकील प्रार्थीगण :– श्री दाताराम यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. राजकीय अभिभाषक

3. वकील अप्रार्थीगण :— सर्व श्री पवनकुमार यादव, सुरेन्द्र कुमार वर्मा

निर्णय दिनांक 30.6.2017

1. प्रस्तुत पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा धारा 152 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 के तहत पेश की गई है, जिसमें निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी की बाबत तहत न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 209/86 (828/99) में चला था, जिसका निर्णय दिनांक 28.3.2001 को किया गया था । उक्त वाद में वादीगण द्वारा विवादित आराजी में 5/12 भाग तथा तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा 7/12 भाग होना स्वीकार किया था । विद्वान तहत न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.3.2001 के खिलाफ श्रीमान अदालत में अपील पेश हुई थी, जिस अपील में भी वादीगण अपीलांटस का 5/12 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0 का 7/12 भाग होना स्वीकार किया था ,परन्तु अदालत श्रीमान द्वारा उक्त अपील के निर्णय दिनांक 22.3.2002 के अन्त में विवादित आराजी में हमको खातेदार काश्तकार तो घोषित कर दिया, परन्तु उसमें हिस्सा नहीं खोला, जो एक लिपिकीय भूल है । अतः निवेदन है कि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

2. विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अदालत हाजा द्वारा पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त ही मूल अपील में निर्णय पारित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा रिव्यू अपने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त यह प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया गया है तथा देरी का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया । प्रार्थना पत्र सारहीन है । अतः निवेदन है कि इसे खारिज किया जावे । विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2002 (3) आर0 एल0 आर0 पेज 147, 151, 2015 (2) डी0 एन0 जे0 (राज0)पेज 650 का हवाला दिया ।

3. जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त हिस्सो की दुरूस्ती कराने हेतु हमारे द्वारा वादीगण अपीलांटस से कहा गया तो उन्होंने कहा कि करवा देंगे । इसके बाद तहत न्यायालय में इजराय का प्रार्थना पत्र पेश हो गया । तब भी वादीगण अपीलांट ने भरोसा दिया कि दुरूस्ती करवा देंगे । फिर हमने इजराय पत्रावली में आदेश 21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

नियम 58, 97 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया । इस पर हमसे तहत न्यायालय द्वारा कहा गया कि हिस्से बाबत संशोधन अदालत श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा ही किया जा सकता । इस पर हमने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । इस प्रकार उपरोक्त कारणों से यह प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हुई है । अतः निवेदन है कि देरी को माफ किया जावे ।

4. इस पत्रावली में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 भी पेश हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि मूल अपील में हमारे पिता नानगराम रेस्पो0 संख्या 03 के रूप में पक्षकार थे । उनका देहान्त हो चुका है । अब इस पत्रावली में हम हितबद्ध पक्षकार है । अतः निवेदन है कि पक्षकार बनाया जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र किसी पक्षकार द्वारा अपनी इकतरफा खुलवाने के लिये पेश किया जाता है, न कि हितबद्ध पक्षकार बनने हेतु । हितबद्ध पक्षकार का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0 पी0 सी0 के तहत पेश किया जाता है । इसके अतिरिक्त अगर मृतक के स्थान पर उसका वारिस पक्षकार बनना चाहे तो इसके लिये सी0 पी0 सी0 के आदेश 22 में उपचार उपलब्ध है । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि प्रार्थी के पिता नानगराम को मूल अपील में मेरिटस पर सुना जा चुका है तथा यदि शेष पक्षकारान का हित निहित होता तो वे स्वयं इस न्यायालय में या तहत न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र देते, जो नहीं दिया गया है । प्रार्थी के पिता नानगराम को पूर्व में ही मूल अपील में मेरिटस पर सुना जा चुका है और अब इस पत्रावली में मेरिटस पर किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं होना है, इसलिये प्रार्थी को अब सुना जाना आवश्यक नहीं है । अतः यह प्रार्थना पत्र गलत आदेश नियम में पेश करने एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है ।

6. इसके बाद इस पत्रावली, जो कि धारा 152 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 पर गौर किया । धारा 152 का प्रार्थना पत्र तभी पेश किया जाता है, जब मूल निर्णय में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय भूल रह जाती है । प्रार्थी ने मूल अपील संख्या 52/2001 में पारित निर्णय दिनांक 22.3.2002 के ऑपरेटिव पोरशन में हिस्सा (5/12 एवं 7/12) खुलवाना चाहा है । इस सम्बन्ध में हमने उक्त निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त निर्णय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

किसी भी भाग में कहीं पर कोई हिस्सा नहीं खोला गया है और ना ही हिस्से बाबत कोई विवेचन ही किया है और ना ही किसी वकील द्वारा हिस्से बाबत कोई बहस ही की गई थी । इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि मूल निर्णय के ऑपरेटिव पोरशन में लिपिकीय/टंकणीय भूल हुई है । लिपिकीय/टंकणीय भूल की दुरूस्ती हेतु धारा 152 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है । मौजूदा प्रकरण धारा 152 का नहीं बनता है । प्रार्थी द्वारा जो रिलीफ चाही गई है, वह धारा 152 सी0 पी0 सी0 के तहत देय नहीं है । उसके द्वारा जो रिलीफ चाही गई है, उससे तो पूरा मूल निर्णय ही संशोधित/परिवर्तित हो जायेगा, जो धारा 152 सी0 पी0 सी0 में देय नहीं है । इसके लिये अलग से नियम बने हुये हैं । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि यह प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया गया है और देरी का सतोषजनक कारण भी नहीं बताया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह प्रार्थना पत्र सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि यह पत्रावली खारिज की जाती है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner